मेरी आवाज सुनो...

प्लास्टिक सिटी जाने वाली सड़क बनवा दीजिए

औरैया की प्लास्टिक सिटी को जाने वाली सड़क पूरी तरह गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। लुखरपुरा गांव के पास सड़क पूरी तरह तालाब में तब्दील हो चुकी है। इससे पैदल तक निकलना मुश्किल हो गया है। जिम्मेदारों से मांग है कि इस सड़क पर हुए तालाब की मरम्मत कराकर सड़क बनवा दीजिए।
- दिनेश कुमार, कंचौसी मोड़

नोट : आप भी अपने पास-पड़ोस की समस्याओं को नीचे दी गई ई-मेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर पर साझा करें। हम उसे प्रकाशित करेंगे।
मेल आईडी: knp-dakincharge@knp.amarujala.com
व्हाट्सएप कॉर्ड: 8954886438

एसआईटी करेगी जीएसटी चोरी की जांच, गठित की गई टीम

फर्जी फर्म बनाकर जीएसटी को लगाया था लाखों का चूना

फॉलोअप

संवाद न्यूज एजेंसी

औरैया। फर्जी फर्म बनाकर जीएसटी चोरी के मामले में एसपी अभिषेक भारती ने एसआईटी का गठन कर जांच के निर्देश दिए हैं। अब पूरे मामले की जांच एसआईटी करेगी। मामले में राज्य कर अधिकारी की तहरीर पर 24 फरवरी को प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

राज्य कर अधिकारी विजय शंकर दीक्षित के अनुसार गांव खानपुर निवासी मोहम्मद चांद ने मून इंटरप्राइजेज नाम से एक व्यावसायिक फर्म पंजीकृत कराई थी। जांच में पाया गया कि आरोपी ने वर्ष 2022-23 के दौरान फर्जी खरीदारी दिखाकर बड़े पैमाने पर बिक्री की थी और अवैध रूप से इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया था।

विभाग को जब इस फर्जीवाड़े का अंदेशा हुआ तो 13 फरवरी 2023 को घोषित व्यापार स्थल का भौतिक सत्यापन कराया गया। जांच टीम तब दंग रह गई, जब मौके पर मून इंटरप्राइजेज का कोई वजूद ही नहीं मिला।

व्यापार स्थल पूरी तरह से अस्तित्वहीन पाया गया था। विभाग द्वारा समन जारी किए जाने के बाद भी आरोपी मोहम्मद चांद उपस्थित नहीं हुआ, जिसके बाद उसका जीएसटी नंबर को निरस्त कर दिया गया।

मास्टरमाइंड का आसपास के जिलों में भी था व्यापार

एसपी अभिषेक भारती द्वारा जीएसटी चोरी के मामले में गठित की एसआईटी ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था। चोरी का मास्टर माइंड शहर के रोडवेज बस स्टैंड के सामने रहने वाला महावीर शरण पहाड़िया था, इसका कारोबार कानपुर देहात, इटावा, कन्नौज सहित अन्य जनपद में फैला था। सूत्रों के अनुसार करीब करोड़ों रुपयों में व्यापारियों की उधारी है, जिसे अभी तक वह दबाए था। मास्टर माइंड के जेल जाने के बाद व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। इधर, जेल जाने के बाद आरोपी के घर के बाहर सन्नाटा पसरा रहा। मास्टर माइंड रोजाना जिनके साथ बैठा करता था, अब वे भी नहीं दिखाई दे रहे हैं।

छह फर्जी फर्मों की जांच जारी, और भी आरोपी फंसेंगे

पुलिस ने जीएसटी चोरी के मामले में चार आरोपियों को जेल भेज दिया है। अभी छह और बोगस फर्में हैं, जिनकी जांच जारी है। बताया जा रहा है कि मास्टर माइंड महावीर शरण पहाड़िया के नजदीकी भी कार्रवाई के जद में आ सकते हैं।

कोतवाली पुलिस ने राज्य कर अधिकारी की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज की। बुधवार को साइबर थाना व सर्विलेंस सहित अन्य पुलिस अधिकारी की एक टीम गठित की गई, जो अब इसकी जांच करेगी।

कोतवाल राजकुमार सिंह ने बताया कि जीएसटी चोरी के मामले में एसआईटी जांच कर रही है। जल्द इस मामले का भी खुलासा किया जाएगा।

भीम आर्मी उपाध्यक्ष को प्रदर्शन करने से रोका, सीओ को सौंपा ज्ञापन

भीम आर्मी उपाध्यक्ष के घर के बाहर तैनात पुलिस। संवाद

अटसू। नगर पंचायत अटसू स्थित आंबेडकर पार्क में बनी अस्थाई गोशाला को लेकर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से पहले पुलिस अलर्ट रही। भीम आर्मी के मंडल उपाध्यक्ष आनंद आंबेडकर को अजीतमल जाने से रोक दिया। इसके बाद उन्होंने सीओ को ज्ञापन दिया।

आनंद आंबेडकर अजीतमल स्थित एसडीएम कार्यालय में प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपने के लिए जा रहे थे। मंगलवार रात लगभग 10:30 बजे से ही कोतवाली पुलिस उनके आवास के बाहर तैनात कर दी गई।

बुधवार को जैसे ही वह अपने घर से रवाना होने लगे, पुलिस ने उन्हें आगे जाने से रोक दिया। पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद उन्होंने अजीतमल जाने की अनुमति मांगी, लेकिन प्रशासन ने कानून-व्यवस्था का हवाला देते हुए अनुमति नहीं दी।

आनंद आंबेडकर ने ज्ञापन में अटसू स्थित आंबेडकर पार्क के अंदर बनी गोशाला को शीघ्र हटाने की मांग की गई। आनंद ने कहा कि पार्क में गोशाला बनाया जाना डॉ. भीमराव आंबेडकर का अपमान है।

आंबेडकर पार्क में बनी गोशाला हटवाने की मांग

मेडिकल कॉलेज विद्यार्थी में आज इनकी होगी ओपीडी

मेडिकल कॉलेज ओपीडी टाइम (बृहस्पतिवार)

सुबह 8 बजे से दोपहर दो बजे

- मनोरोग विभाग (कमरा नं-16) डॉ. शिवांगी तिवारी
- डॉ. अनामिका राजपूत

फिजीशियन
कमरा नं-8,9
- डॉ. अपर्णा संखवार
- डॉ. रामनिवास

नाक कान गला रोग
कमरा नं-17
- डॉ. अमित कुमार

मेडिसिन विभाग
कमरा नं-12
- डॉ. राजीव शाक्य

बाल रोग
कमरा नं-34
- डॉ. कमलदीप

हड्डी रोग विभाग
कमरा नं-11
- डॉ. पायल जादौन
- डॉ. शालिनी चौहान

जच्चा बच्चा
कमरा नं-23
- डॉ. मायाशंकर

चेस्ट रोग विभाग
कमरा नं-07
- डॉ. मनोज कुमार मेघवानी

डायल करें
क्वालिटी मैनेजर
डॉ. सुनील पाल
9140259972

नोट : ओपीडी का समय निर्धारित है। आकस्मिक स्थिति में इसमें बदलाव हो सकता है।

हाईस्कूल की छात्रा से छेड़छाड़ के दोषी को पांच साल की सजा

अदालत से

संवाद न्यूज एजेंसी

विशेष न्यायालय पॉक्सो ने सुनाया फैसला, 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

औरैया। हाईस्कूल की छात्रा से छेड़छाड़ और धमकी के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अभिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने आरोपी जितेंद्र कुमार उर्फ टार्जन को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोषी को पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही उसपर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

घटना थाना दिबियापुर क्षेत्र की है। छात्रा के पिता ने पुलिस को बताया था कि उनकी 15 वर्षीय बेटी प्रतिदिन सुबह छह से सात बजे के बीच कोचिंग पढ़ने जाती थी। थाना क्षेत्र के गांव हरचंदपुर निवासी जितेंद्र कुमार अक्सर आते-जाते समय छात्रा से छेड़खानी करता था।

10 दिसंबर 2019 की सुबह जब बेटी अकेली कोचिंग जा रही थी, तब रास्ते में आरोपी ने उसका हाथ पकड़ लिया और अश्लील हरकतें करने लगा। विरोध करने पर आरोपी ने उसे जबरन खींचने का प्रयास किया और उसके मुंह पर तमंचा लगा दिया।

शोर मचाने पर आसपास के लोगों की आहट सुनकर आरोपी धमकी देकर मौके से फरार हो गया। बुधवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने जितेंद्र कुमार को दोषी करार दिया। सजा सुनाए जाने के बाद जितेंद्र को पुलिस कस्टडी में लेकर जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।

टीईटी के विरोध में शिक्षकों की बैठक, नई कार्यकारिणी बनी

सहार। बीआरसी में बुधवार को शिक्षकों की बैठक हुई। इसमें टीईटी के विरोध में 26 फरवरी को जिला मुख्यालय पर धरना-प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपने की रणनीति बनाई गई। इस दौरान ब्लॉक इकाई की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि शिक्षकों के अधिकारों एवं सम्मान के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी शिक्षक भारी संख्या में जिला मुख्यालय पहुंचकर अपनी एकजुटता और शक्ति का प्रदर्शन करें। इस अवसर पर प्राथमिक शिक्षक संघ की ब्लॉक इकाई का गठन किया गया। जिलाध्यक्ष अखिलेश चंद यादव व जिला मंत्री अरविंद राजपूत ने नवगठित पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। नवनियुक्त पदाधिकारियों ने संकल्प लिया कि वे ब्लॉक के सभी शिक्षकों की समस्याओं के समाधान हेतु हर स्तर पर आवाज बुलंद करेंगे। बैठक में पंकज कठेरिया, पंकज त्रिपाठी, नीरज चक, संतोष सिंघहौलिया, अमित यादव, देवांशु श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। (संवाद)

कामिनी ने ट्रेनिंग ले संवारा भविष्य नौ महिलाओं को भी देंगी रोजगार

यह पहल गांव की अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणास्रोत बनेगी

संवाद न्यूज एजेंसी

औरैया। ग्राम पंचायत देवरपुर के गांव झावर का पुरवा की निवासी कामिनी ने आत्मनिर्भरता की तरह कदम बढ़ाए हैं। कृषि विज्ञान केंद्र से 21 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त कर उन्होंने घर से निकलने की ठानी। पति का सहयोग मिला तो प्रशिक्षण के दौरान मिली सिलाई मशीन की मदद से अब वह सिलाई और पीको-फॉल लगाने का काम कर रहीं हैं।

कामिनी ने देवरपुर बाजार में अपना काम शुरू कर दिया है, जहां महिलाओं के कपड़ों की सिलाई और साड़ियों में पीको-फॉल लगाने के ऑर्डर मिल रहे हैं। शुरुआत में छोटे स्तर पर शुरू हुआ यह कार्य अब धीरे-धीरे गति पकड़ रहा है। क्षेत्र की महिलाएं भी उनके काम की सराहना कर रही हैं। कामिनी विकास स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं।

सिलाई करतीं कामिनी। संवाद

उनका कहना है कि समूह से जुड़ने के बाद उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। अब वह अपने समूह की नौ अन्य महिलाओं को भी इस काम से जोड़कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने की योजना बना रही हैं, ताकि वे भी आत्मनिर्भर बन सकें।

कामिनी के पति रामशंकर किसान हैं और खेती-किसानी का काम करते हैं। वह पत्नी के इस प्रयास में पूरा सहयोग दे रहे हैं। कामिनी बताती हैं कि घर की जिम्मेदारियों के बीच बाहर निकलकर काम शुरू करना आसान नहीं था, लेकिन पति और परिवार के सहयोग से उन्होंने यह कदम उठाया।

कामिनी की यह पहल न सिर्फ उनके परिवार की आय बढ़ाने में सहायक बनेगी, बल्कि गांव की अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत साबित हो रही है।

घर से निकलना नहीं था आसान, पति और परिवार ने किया पूरा सहयोग

कपड़े सिलाने गई लड़की गायब

सहार। क्षेत्र के ग्राम चांदो अलीपुर में एक किशोरी मंगलवार दोपहर घर से कपड़े सिलाने के लिए बाजार जाने की बात कहकर निकली। देर शाम तक वह वापस नहीं लौटी। पिता ने बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई है। थाना प्रभारी ने बताया कि परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर गुमशुदगी दर्ज कर ली गई है और संभावित स्थानों पर खोजबीन की जा रही है। आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। (संवाद)

नवम पुण्य तिथि

श्रद्धेय स्व. डॉ. हरिनाम सिंह
(30.10.1957 - 25.02.2017)

आपकी स्नेहमयी वाणी, श्रेष्ठ स्वभाव, गतिशील नेतृत्व और कार्य के प्रति समर्पण आज हमारा जीवन पथ आलोकित कर रहा है। हम सब आपको सविनय स्मरण करते रहेंगे। हम समस्त परिवारजन श्रद्धावनत होकर आपके पद चिन्हों के आलोक में सतत् अग्रसर रहने का संकल्प दोहराते हैं।

शोकाकुल परिवार
पुत्र व पुत्रवधू: डॉ. हिमांशु सिंह व डॉ. अनुषी वर्मा
पुत्री व दामाद: डॉ. प्रिया सिंह व डॉ. विनय सिंह
एवं समस्त प्रिया हॉस्पिटल परिवार

Priya Hospital
विश्व बैंक, बर्रा बाईपास रोड, कानपुर
मो. 9839200152

स्वयंसेवकों ने किया मतदाताओं को जागरूक

संवाद न्यूज एजेंसी

औरैया। तिलक महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा विशेष शिविर के छठवें दिन की शुरुआत लक्ष्य गीत के साथ हुई। प्रोजेक्ट कार्य के तहत स्वयंसेवकों ने गांव बमुरीपुर में मतदाता जागरूकता रैली निकाली व ग्रामीणों को मतदान करने के बारे में जागरूक किया।

सत्र में कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. अनुपमा वर्मा ने मतदान के महत्व को साझा करते हुए अधिक से अधिक मतदाता बनवाने पर जोर दिया। प्रो. अधीर कुमार गुप्ता ने महत्त्व पर प्रकाश डाला। डॉ. विकसित भारत संकल्पना 2047 से जोड़ते हुए सेवा योजना के अमित कुमार सिंह ने राष्ट्रीय सेवा योजना के मूलभूत सिद्धांतों पर अपने विचार व्यक्त किए। डॉ. प्रकाश वीर सिंह व डॉ. गौरव अग्रवाल ने मतदान की भूमिका व पर्यावरण संरक्षण पर आयोजित प्रतियोगिताओं में निर्णायकों की भूमिका का निर्वहन किया। कार्यक्रम में डॉ. जय सिंह, डॉ. सुयश शुक्ला, डॉ. राजेश कुमार यादव, तृप्ति, नव्या अग्रवाल, सलोनी, भाग्या अवस्थी, अमरजीत यादव व उद्देश्य चतुर्वेदी आदि उपस्थित रहे।

गांव में जागरूकता रैली निकालते स्वयंसेवक। स्रोत : आयोजक

सभी पात्रों को मतदाता बनाने का लिया संकल्प

न्यूज डायरी

स्थानीय लोगों से बातचीत करते एसडीएम व पुलिस अधिकारी। संवाद

होलिका दहन स्थानों का किया निरीक्षण

अजीतमल। होलिका दहन को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। इसको लेकर एसडीएम निखिल राजपूत, सीओ मनोज गंगवार, कोतवाली प्रभारी ललितेश त्रिपाठी व अयाना थाना प्रभारी ने क्षेत्र के विभिन्न होलिका दहन स्थलों का निरीक्षण किया। अधिकारियों द्वारा मुहल्लांज, दलेलनगर, भीखेपुर व अयाना सहित अन्य प्रमुख स्थानों पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, साफ-सफाई, अग्निशमन की तैयारी तथा भीड़ नियंत्रण से संबंधित आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। इस अवसर पर संबंधित ग्राम प्रधान, जनप्रतिनिधि तथा शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र के गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। (संवाद)

होली में हुड़दंग मचाने वालों पर होगी कार्रवाई

पीस कमेटी की बैठक में मौजूद एसडीएम, सीओ व अन्य। संवाद

बिधूना। होली पर्व को सकुशल, शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से तहसील सभागार में पीस कमेटी की बैठक की गई। बैठक में एसडीएम गरिमा सोनकिया व सीओ पी. पुनीत मिश्रा ने निर्देश दिए कि होली के दौरान हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिना अनुमति डीजे बजाने पर संबंधित डीजे संचालक एवं कार्यक्रम आयोजक दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों को लेकर भी विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। (संवाद)

रेलवे क्रॉसिंग पर डेढ़ घंटे जाम में फंसे रहे राहगीर

कंचौसी। दिल्ली-हावड़ा रेल रूट पर लगातार ट्रेनों के गुजरने से बुधवार सुबह क्रॉसिंग को गेट बंद किया गया। इससे डेढ़ घंटे तक लंबा जाम लगा रहा। दरअसल, रेल रूट लगातार छह एक्सप्रेस ट्रेनों के पास करने बाद डीएफसी ट्रैक पर चार मालगाड़ियां भी गुजरीं। इस दौरान गेट काफी देर तक बंद रहा। कई वाहन चालकों ने अपने वाहनों को अव्यवस्थित तरीके से खड़ा कर दिया। इससे जाम की स्थिति बन गई। जाम के कारण कई वाहन फंसे रहे और यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। दोपहर 12:30 बजे के बाद फाटक खुलने पर यातायात सुचारू हो सका और लोगों ने राहत महसूस की। स्टेशन अधीक्षक दरबारी कुमार ने बताया कि ट्रेनों का दबाव अधिक होने के कारण रेलवे क्रॉसिंग को लंबे समय तक बंद रखना पड़ा। (संवाद)

गीता सही कर्म आत्म-शांति का दिखाती है मार्ग

दिबियापुर। मोहल्ला इंदिरा नगर में चल रहे आध्यात्मिक कार्यक्रम में आचार्यां गीता ने भागवत गीता पर आधारित सरल, सहज और जीवन उपयोगी ज्ञान प्रदान किया। कहा कि गीता हमें सही सोच, सही कर्म और आत्म-शांति का मार्ग दिखाती है। उन्होंने कल्पवृक्ष के ज्ञान का गहरा रहस्य भी बताया। उन्होंने समझाया कि कल्पवृक्ष केवल एक प्रतीक नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि और मानव जीवन का चित्र है। इसका बीज रूप परमात्मा है। जड़ आदि सनातन देवों-देवता धर्म है, जहां पवित्रता, शांति और सुख का राज्य होता है। उन्होंने समझाया कि सृष्टि एक निश्चित क्रम का चक्र है, जो चार-चार दोहराया जाता है। जब वृक्ष पुराना और कमजोर हो जाता है, तब परमपिता परमात्मा आकर फिर से ज्ञान का बीज बोते हैं। (संवाद)

हॉलीडे होम

श्रीनगर में बनेगा पर्यटन विभाग का हॉलीडे होम

निदेशक ने विकास योजनाओं की देखी हकीकत

ग्रामीण विकास योजना के निदेशक ने चौपाल में सुनीं समस्याएं

बिधूना। ग्रामीण विकास मंत्रालय के निदेशक आईएएस पवन कुमार ने बुधवार को ग्राम पंचायत भिखरा और सवालिया का निरीक्षण किया। उन्होंने विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत परखी।

निदेशक सबसे पहले गांव भिखरा पहुंचे। पीएम आवास योजना के लाभार्थी शिव नारायण व राधाकृष्ण के आवासों का निरीक्षण किया। मनरेगा से निर्मित सड़कों की गुणवत्ता भी देखी। भिखरा की गोशाला में 103 गोवंशों का हाल जाना। 23 फरवरी 2026 को गिरी बाउंड्रीवॉल के संबंध में जानकारी ली गई। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। इसके बाद सवालिया पंचायत में चौपाल आयोजित की गई। ग्रामीणों से विकास कार्यों पर सीधा संवाद हुआ।

निरीक्षण में एक पीएम आवास में कमियां मिलीं। इन्हें शीघ्र दूर कराने के निर्देश डीसी मनरेगा, बीडीओ रामदुलार और एडीओ पंचायत नृपेंद्र यादव को दिए गए। ग्रामीण लवलेश कुमार ने गली की सफाई और अधूरी सड़क की शिकायत की जिस पर प्रधान व सचिव को तत्काल कार्रवाई के निर्देश मिले।

अवनीश कुमार को वर्ष 2021 की मनरेगा मजदूरी का शीघ्र भुगतान कराने का आश्वासन दिया गया। चौपाल में स्वयं सहायता समूह की गतिविधियों की भी जानकारी ली गई। संवाद

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! | pnb punjab national bank ...the name you can BANK upon! | मण्डल कार्यालय इटावा, ई-मेल cs8223@pnb.pnb.bank.in

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

ई-नीलामी प्रक्रिया से 'वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत जो प्रतिभूति (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के साथ पठित है, कब्जा/चल संपत्तियों की बिक्री के लिए चार्जमिनर ज्ञापन।

जनसाधारण और विशेष रूप से उधारकर्ताओं, जमानतकर्ताओं, बंधककर्ताओं को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल/चल संपत्तियों जिन्हें बैंक के पास में गिरवी/बंधक तथा गारंटी का एवं जिनका रचनात्मक कब्जा (सांकेतिक/भौतिक) पंजाब नेशनल बैंक (प्रतिभूत लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है की ई-नीलामी **'जहाँ है जैसा है', 'जहाँ है जो है' और 'जो भी है'** के अनुसार निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं), बंधककर्ता(ओं) और जमानतकर्ताओं से प्रतिभूत राशि की वसूली के लिए की जाएगी। बिक्री की तारीख, आरक्षित मूल्य, EMD राशि एवं अचल संपत्ति का संक्षिप्त विवरण (कोई अतिभार ज्ञात नहीं) निम्नानुसार है। | विक्री हेतु बंधक सम्पत्ति का विवरण

क्र सं	शाखा का नाम खाते का विवरण / उधारकर्ता/ जमानतकर्ता/ खाता का नाम एवं पता	अचल सम्पत्ति का विवरण बंधक/सम्पत्ति मालिक का नाम(बंधक सम्पत्ति/यां (परिसम्पत्ति से सम्बन्धित सभी भाग व पूर्व विरणों सहित)	a) डिमांड नोटिस की तिथि 138(2)सरफेसी नियम 2002 b) कब्जा प्राप्ति सी) कब्जा की तिथि; 13(4) सरफेसी नियम 2002 d)कब्जा का प्रकार	a)आरक्षित मूल्य b)बंधोदर धनराशि c) वृद्धिशील बिड धनराशि
	ई-नीलामी की तिथि व समय 17.03.2026 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक, शरोहर शीश जमा करने की अन्तिम तिथि 17.03.2026			
1	शाखा: अकबरपुर, कानपुर देहात (ई-कोड 483400) उधारकर्ता/ जमानतकर्ता/ बंधककर्ता– 1) श्री अरुण कुमार निषाद पुत्र श्री नारायण निषाद	सभी भाग एवं हिस्सों सहित 2 संपत्तियां स्थित खाता नं.–5 हरौनिया, अकबरपुर, कानपुर देहात जोकि अरुण कुमार निषाद पुत्र श्री नारायण निषाद के नाम पर है। विवरण निम्नलिखित 2 फ्लैट है– संपत्ति 1. नाप क्षेत्र 117.04 वर्ग मीटर जोकि बही संख्या–1, जिल्द संख्या – 3558, पृष्ठ 373 से 404 पर क्रमांक– 347 पर दिनांक 17.01.2019 को उप निबन्धक कार्यालय अकबरपुर (कानपुर देहात) में पंजीकृत है। चौहदी: पूर्व– अरुण निषाद का फ्लैट एवं एसके बाद श्री नारायण निषाद का मकान, पश्चिम– निर्माद और लखन का मकान, उत्तर– 12 फीट चौड़ी खड़ंजा सड़क, दक्षिण– स्वयंदेव राम नाथ का खेत संपत्ति 2. नाप क्षेत्र 130.50 वर्ग मीटर जोकि बही संख्या–1, जिल्द संख्या–3555, पृष्ठ 367 से 400 पर क्रमांक–236 दिनांक 13.01.2016 को उपनिबन्धक कार्यालय अकबरपुर (कानपुर देहात) में पंजीकृत है। चौहदी: पूर्व– श्री नारायण निषाद का मकान, पश्चिम– निर्माद व लखन का मकान, उत्तर– 12 फीट चौड़ी खड़ंजा सड़क, दक्षिण– स्वयंदेव राम नाथ का खेत (Property ID-PUNB1483ARUNM)	a) 13.09.2022 b) रू. 11,93,464.00/– +ब्याज दि- 01.09.2022 से प्रभारी एवं अन्य खर्चे c) 01.12.2022 d) सांकेतिक कब्जा	a) रू. 21.54 लाख b) रू. 2.16 लाख c)रू. 10,000/-
2	शाखा:बुलन्द रोड, औरैया (सी.ए. 17290) उधारकर्ता / जमानतकर्ता / बंधककर्ता– 1)श्रीमती कुसुम देवी पत्नी स्व. नरेश 2)श्री अमित कुमार पुत्र श्री स्व नरेश 3)श्री अमित कुमार पुत्र श्री स्व नरेश	आवासीय प्लाट माप संख्या 61 स्थित गोंडल्या कवाचाड़, परगना और जिला औरैया सी. 146.375 वर्ग मीटर जोकि बिही पिलेख संख्या 9453 के अनुसार, दिनांक 27/11/2021 को बही संख्या 1, खंड संख्या 8450, पृष्ठ संख्या 101 से 132 पर उप निबन्धक कार्यालय औरैया में श्री अमित कुमार पुत्र श्री राम नरेश के नाम पर पंजीकृत है। बिही विलेख के अनुसार चौहदी: पूर्व. ब्रह्मदत्त का प्लाट, पश्चिम रोडवैदारी कुशवाहा का मकान, उत्तर: रोडवेज , का प्लाट, दक्षिण: भरतपुर को जोड़ने वाला रास्ता (10 मी.से कम चौड़ा) (Property ID-PUNB17791KRISHNA1)	a) 27.12.2024 b) रू. 17,57,335.34 + ब्याज दिनांक 01.12.2024 से प्रभारी एवं अन्य खर्चे c) 07.04.2025 d) सांकेतिक कब्जा	a) रू. 20.25 लाख b) रू. 2.03 लाख c)रू. 10,000/–

नोट: प्रतिभूत जेनदार को ज्ञात अभिभार का विवरण : कोई अभिभार ज्ञात नहीं

नियम एवं शर्तें– बिक्री नियोय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नियम एवं शर्तों की पुस्तिकाएं के अधीन होगी। 1. सम्पत्तियाँ जो बिक्री **"जहाँ है जैसा है", "जहाँ है जो है" और "जो भी है"** के आधार पर की जायेगी। 2. बंधक सम्पत्ति से सम्बन्धित विवरण जानकारी बैंक के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अंकित किये गये है। प्राधिकृत अधिकारी किसी भी त्रुटि भरत बयान या बिक्री सम्बन्धी घोषणा में हुई भूल हेतु जवाबदेही नहीं होगा। 3. सभी आवश्यक बिल/सरकारी शुल्क यानी टेलीफोन, बिजली, हाउस टैक्स आदि यदि कोई शेष हो तो, नीलामी क्रेता द्वारा भरन किया जाएगा। 4. बिक्री प्रतिभूत अधिकारी द्वारा ईनीलामी प्लेटफार्म वेबसाइट https://baanknet.com पर की जायेगी। 5.विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया https://ibaanknet.com में दिए गए लिंक को देखें।

प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक, प्रतिभूत जेनदार

दिनांक 26.02.2026 स्थान: इटावा

बिही सूचना सार्वजनिक हित 2002 के अनियम नियम 8(6) एवं 9(1) के अन्तर्गत उधारकर्ता(ओं)/बंधककर्ता(ओं)/जमानतकर्ता(ओं) हेतु विक्रय सेवाओं के लिए।

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! | pnb punjab national bank ...the name you can BANK upon! | मण्डल कार्यालय इटावा, ई-मेल cs8223@pnb.pnb.bank.in

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम–2002(सरफेसी एक्ट 2002) धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस

आप सभी निम्नलिखित पार्टियों को एतद्द्वारा अधोलिखाती सूचित कराता है कि आप सभी के विरुद्ध बैंक ने निम्नलिप्त आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002, के अन्तर्गत कार्यवाई प्रारम्भ करते हुए एक मांग धारा 13 (2) के अन्तर्गत आप सभी को अदत्त–अलग रजिस्टर पोस्ट द्वारा नीचे वर्णित तिथियों को नोटिस भेजी गई थी जोकि बैंक तामील हुए वापस आ गई है। इसलिए आप सभी को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर आप संपूर्ण/एकक राशि में बकाया राशि अदा कर दें अन्यथा बैंक इस एक्ट की धारा 13 (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित सम्पत्तियों के प्रति कब्जा यानि मय आय व एवंट के अन्तर्गत अपेक्षित लागत की वसूली के लिए कार्यवाही शुरू कर देगा। यह करना आवश्यक नहीं है कि बैंक के पास और कोई उपाय न होने के कारण यह सूचना और बिक्री सूचित के जारी की जा रही है। क्रापियां, शाखाएं, बंधककर्ताओं तथा जमानतकर्ता को आगाह किया जाता है कि निम्नलिखित सम्पत्तियों के प्रति कोई लेनदारात न करें और इन सम्पत्तियों के प्रति किये गये लेनदारात पर यदि कोई कार्य होता है तो भारत सहित बैंक की बकाया राशि देय खाता अधिकार पंजाब नेशनल बैंक का होगा।

खाता/उधारकर्ता/बंधककर्ता का नाम एवं पता	अचल सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि	नोटिस की राशि(रु.)
उधारकर्ता/ जमानतकर्ता/ बंधककर्ता– 1) श्री अरुण कुमार निषाद पुत्र श्री नारायण निषाद	सभी भाग एवं हिस्सों सहित आवासीय संपत्ति स्थित मोहल्ला रामपुर कैंपू, विद्युतगढ़ गेट, शिवरामक, फर्रुखाबाद, अब कन्नौज, उत्तर प्रदेश 209721 श्री 30 वर्गमी जोकि विक्रय विलेख दिनांक 15.01.1987 के अनुसार बुक नं0 1, जिल्द नं0 943, पेज नं0 35 से 39 क्रम सं. 2663 पर श्रीमती मृदुलाइ बेगम पत्नी अकबरदीन के नाम पर उपनिबन्धक कार्यालय फर्रुखाबाद, अब कन्नौज में पंजीकृत है. चौक के अनुसार चौहदी – पूर्व–रोड, पश्चिम–मु0 खान का मकान उत्तर–मु0 खान का मकान, दक्षिण–द्वेश का मकान।	23.02.2026	रु. 5,13,870.19 दि 23.02.2026 तक+ भावी एवं अन्य खर्चे

ध्यान दें सम्पत्ति में रुचि है : (1) मूल नोटिस /लिफाफा जो अंकको सम्बोधित है तथा डाक अधिकारियों द्वारा वापस की गई है, को शाखा से प्राप्त कर ले एवं (2) सरफेसी एक्ट 2002 के अन्तर्गत कार्यवाही से बचने के लिए नोटिस जारी होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर सम्पूर्ण बकाया धनराशि भारत एवं अन्य खर्चे सहित का भुगतान कर दें ।

प्राधिकृत अधिकारी

दिनांक 26.02.2026 स्थान: इटावा